एफ.सं. डब्ल्यू-02/0004/2014-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-IV/2021

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 03 अगस्त, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर के पद और बोर्ड स्तर से नीचे के पद - वेतनमान में संशोधन दिनांक 01.01.1997 से-संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 19.11.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/20 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें आईडीए वेतन पैटर्न का अनुसरण करने वाले सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए मंहगाई भत्ता की दरें दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक स्थिर कर दी गई है।

2. इस विभाग के दिनांक 17.08.2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए, 1997 के वेतन संशोधन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सीपीएसईज़ के कार्यपालकों को महंगाई भत्ते की दर **दिनांक 01.07.2021 से (गणना पत्र अनुबंध में संलग्न है) 338.8% से बढ़ाकर 356.7% कर दी गई है। यह वृद्धि दिनांक 01.10.2020, 01.01.2021 और 01.04.2021 को होने वाली अतिरिक्त किश्तों को समाहित करती है। दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की दर 338.8% पर बनी रहेगी।**

3. आईडीए कर्मचारियों के मामले में उपरोक्त दरें 356.7% लागू हैं, जिनके वेतन को डीपीई का.ज्ञा. दिनांक 25.06.1999 के अनुसार दिनांक 01.01.1997 से संशोधित किया गया है।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वोक्तियों को सीपीएसईज़ के ध्यान में अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लाएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित-:

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, ई-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ की इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव

अनुबंध

1997 आईडीए वेतनमान के अनुसरण में कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए गणना पत्रक

नियत तिथि	तिमाही का औसत	लिंक प्वाइंट (पिछले उपलब्ध तीन महीने का औसत एआईसीपीआई 01.01.1997 तक एआईसीपीआई)	लिंक प्वाइंट पर वृद्धि	डीए की दरें	टिप्पणियां
01.10.2020	7654	*1708*	*5946*	*348.1*	*डीए अवधि (दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021) के दौरान वास्तविक डीए की दरें 338.8% हैं। किसी भी बकाया की अनुमति नहीं दी जाएगी।*
01.01.2021	*7834*	*1708*	*6126*	*358.7*	
01.04.2021	*7801*	*1708*	*6093*	*356.7*	